न्यायालय – विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ0नि0) प्रकरण, राजसमंद

पीठासीन अधिकारी – अभिलाषा शर्मा, RJS (DJ Cadre)

निगरानी फौजदारी प्रकरण संख्या – 129 सन् 2023
(CIS No. 155/2022)

ख्यालीलाल पिता गोपीलाल सुथार, उम्र 38 साल, निवासी देवीयों की मेरडा, पुलिस थाना केलवा, तहसील व जिला राजसमंद।

––पुनरीक्षणकर्ता / प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, राजसमन्द।

–– गैर पुनरीक्षणकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश डॉ. ऋचा चायल (आर.जे.एस.) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद जो कि अंतिम प्रतिवेदन संख्या 21 / 2018, एफ.आई.आर नंबर 167 / 2018 पुलिस थाना कांकरोली में दिनांक 22.07.2022 को पारित किया गया

उपस्थित :–

1. श्री सम्पतलाल लढ्ढा – अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता की ओर से।
2. राजस्थान राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित।

आदेश **दिनांक : 30.03.2026**

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका, पुनरीक्षणकर्ता श्री ख्यालीलाल ने विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा अंतिम प्रतिवेदन संख्या 21 / 2018, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 167 / 2018 पुलिस थाना कांकरोली में दिनांक 22.07.2022 को पारित आदेश से व्यथित होकर दिनांक 13.09.2022 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अंतरित होकर दिनांक 31.05.2023 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. बहस निगरानी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि विद्वान विचारण

न्यायालय ने पुलिस की तफ्तीश पर पूर्ण विश्वास करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ है। न्यायालय को पुलिस तफ्तीश के साथ फरियादी/निगरानीकर्ता की एफ.आई.आर, धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर गहराई से विचार–विमर्श करना चाहिए था। न्यायालय के अनुसार परिवाद स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा पेश नहीं किया गया है, यह अनुचित है क्योंकि परिवाद पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति पेश कर सकता है। फरियादी/निगरानीकर्ता स्वयं एक स्वतंत्र व्यक्ति है। प्रकरण में फिसलपट्टी टूटने एवं महेन्द्र द्वारा फिसलपट्टी पुनः बनवाने के तथ्य की सभी गवाहान पुष्टि करते हैं। परिवादी/निगरानीकर्ता ने जनहित में स्कूल सम्पत्ति के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया तो रंजिशवश उसे अन्य मामले में फंसाया गया, लेकिन इस आधार पर निगरानीकर्ता का प्रकरण झूठा नहीं माना जा सकता है। अंत में निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को अपास्त करने एवं अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं :–

(i) 2011 Cr. LJ 2832 [Dilip Kumar Vs. State of U.P and ors.]

(ii) ACR 1952 Madras 170 [In re Muthuvedi Anmal and anr.]

4. इसके विपरीत गैर–निगरानीकर्ता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा उचित एवं सही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो विधिक रूप से सही एवं तर्कसंगत है। अंत में विचारण न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी याचिका अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों के उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. सर्वप्रथम विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि निगरानीकर्ता ख्यालीलाल द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवियों की मेरड़ा में आरोपी महेन्द्र द्वारा फिसलपट्टी व चबूतरा तोड़ देने

और उसे पुनः बनाए जाने का विश्वास दिलाये जाने के बावजूद भी नहीं बनाए जाने के आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। उक्त परिवाद में निगरानीकर्ता ने फिसलपट्टी व चबूतरा तोड़ने की दिनांक 07.01.2008 अंकित की है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा यह परिवाद दिनांक 20.10.2018 को पेश किया गया, जो कि लगभग 10 वर्षों के उपरान्त पेश किया गया, इस अवधि के दौरान निगरानीकर्ता द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण निगरानीकर्ता ने अपने परिवाद में अंकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी निगरानी याचिका के समर्थन में स्वयं अथवा किसी भी गवाह के बयान भी लेखबद्ध नहीं करवाए हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों के तहत विद्यालय के प्रधानाध्यापक हेमराज मीणा व अन्य स्वतंत्र गवाह प्रताप पालीवाल, फतेहसिंह, गणेशलाल, बंशीदास, मदनलाल आदि के बयान लेखबद्ध किए गए हैं, जिन्होंने स्कूल के चौक में समतलीकरण के समय चट्टानें निकालते हुए जर्जर हालत में होने से व बिना नींव की होने से फिसलपट्टी गिर जाने के कथन किए हैं तथा आरोपी महेन्द्र द्वारा पुनः निर्माण कराए जाने का आश्वासन दिए जाने के संबंध में कथन किए हैं लेकिन उल्लेखनीय है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा इस संबंध में थानाधिकारी केलवा को वर्ष 2008 में ही रिपोर्ट पेश की है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केलवा द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस संबंध में निगरानीकर्ता ने लेशमात्र भी कथन अंकित नहीं किए हैं अपितु लगभग दस वर्षों के पश्चात् ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुईं कि निगरानीकर्ता को गांव का एक जिम्मेदार नागरिक होने के आधार पर यह परिवाद इतने विलम्ब से पेश करना पड़ा। इस संबंध में यदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान जो निष्कर्ष दिया गया है, उसका अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट तौर पर जाहिर आता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अंतिम प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि ***"गांव देवियों का मेरडा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवियों की मेरडा में वर्ष 2005 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत फिसलपट्टी व चबूतरा बनवाया गया था उस समय स्कूल भवन के सामने चौक में पत्थर की चट्टानें थी। चौक को समतलीकरण कराने के लिए चट्टानों को निकालने व समतलीकरण के***

लिए महेन्द्रकुमार टेलर पिता बन्शीलाल टेलर निवासी देवीयों की मेरडा ने स्कूल के ग्राउण्ड को समतलीकरण के लिए फोकलैण्ड मशीन गांव वालों के कहने से लगवाई थी। स्कूल ग्राउण्ड में बनी फिसलपट्टी जर्जर हालत में हो व फिसलपट्टी बिना नींव के बनी होने से फोकलेण्ड मशीन से चट्टानें निकालते समय गिर गई। जिस पर बाद गांववालों के आपसी समझाइश से उक्त फिसलपट्टी महेन्द्रकुमार को बनाने के लिए कहा था। उसके बाद महेन्द्रकुमार ने पत्थर व सीमेण्ठ तथा रैत आदि सामान डलवाया, जिसका स्कूल में चबूतरा बनाने में उपयोग ले लिया। श्री ख्यालीलाल सुथार, जो गांव से निकल रही गोमती नदी पर एनीकट से अवैध रूप से रैत का खनन कार्य करने लगा। जिससे एनीकट के किनारे स्थित खेतों को नुकसान होने से दिनांक 03.08.2018 को समस्त ग्रामवासियों द्वारा ख्यालीलाल सुथार वगैरा के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट पेश की, जिस पर दौराने जांच दिनांक 16.08.2018 को श्री ख्यालीलाल सुथार, बाबूसिंह, जसवन्तसिंह, गमेरसिंह, लालाराम को धारा 151 जा.फौ. में गिरफ्तार कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष पेश किया, जो 25 हजार रूपये के जमानत मुचलके पर 6 माह के लिए पाबन्द किया, उसके बाद दिनांक 15.09.2018 को ख्यालीलाल सुथार द्वारा पुनः आम शांति भंग करने के आधार पर धारा 151 जा.फौ. में गिरफ्तार कर ख्यालीलाल व बाबूसिंह के विरूद्ध इस्तगासा नंबर 02/2018 धारा 107, 151, 122 जा.फौ. का इस्तगासा मुर्तिब कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष पेश किया, जो जमानत पर हो जैर ट्रायल है। ख्यालीलाल अवैध रूप से रैती का कारोबार करता है तथा यह बदमाश प्रवृत्ति का होकर फर्जी हस्ताक्षर कर गांववालों की तरफ से झूठी रिपोर्ट करने का आदि है व गांव वालों के द्वारा अवैध रूप से रेत खनन से मना करने के कारण ख्यालीलाल ने रंजिशवश श्री महेन्द्रकुमार के खिलाफ पुरानी रंजिश को लेकर परेशान करने हेतु यह मुकदमा करवाया है, जो तफ्तीश से झूठा पाया गया।"

इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में निगरानीर्ता द्वारा पुरानी रंजिश एवं अवैध रूप से रेती का खनन किए जाने एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा भी पूर्व में दो बाद धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पाबंद किये जाने के संबंध में भी कथन अंकित किए हैं। उक्त कार्यवाही का खण्डन निगरानीकर्ता द्वारा नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से निगरानीकर्ता द्वारा उक्त रंजिशवश या अपने दुरस्थ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगभग 10 वर्षों पश्चात् यह परिवाद पेश किया जाना जाहिर आता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस एवं समुचित कारण हमारे समक्ष प्रकट नहीं होता है।

7. उल्लेखनीय है कि निगरानी का दायरा अत्यंत ही सीमित होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में किसी प्रकार की अवैधता, अनिश्चितता एवं अशुद्धता किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है और जब तक विचारण न्यायालय का आदेश प्रकटतः अवैध, अशुद्धत अनुचित एवं क्षेत्राधिकार से परे नहीं हो तब तक उसमें निगरानी की अधिकारिता के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी याचिका के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं, वे तथ्यों एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं।

8. परिणामतः उपरोक्त समस्त विवेचन की रोशनी में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

आ दे श

9. अतः निगरानीकर्ता/परिवादी ख्यालीलाल द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा अंतिम प्रतिवेदन संख्या 21/2018, एफ.आई.आर नंबर 167/2018 पुलिस थाना कांकरोली में दिनांक 22.07.2022 को पारित आदेश की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को लौटा दी जावे।

(अभिलाषा शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.एक्ट केसेज, राजसमन्द

10. यह आदेश आज दिनांक **30.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अभिलाषा शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.एक्ट केसेज, राजसमन्द